Quest Journals
Journal of Research in Humanities and Social Science
Volume 9 ~ Issue 10 (2021)pp: 16-19
ISSN(Online):2321-9467
www.questjournals.org

Research Paper

श्री नरेन्द्र मोदी जी की नवोन्मेषी दृष्टिकोण

शोधार्थी
श्रीमती गुंजेश्वरी गुप्ता
शोध छात्रा राजनीति विज्ञान
शा. ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय एवं उत्कृष्टता केन्द्र रीवा (म.प्र)

निर्देशक
डॉ श्रीमती प्रीति पाण्डेय
प्राध्यापक राजनीति विज्ञान
शा. ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय एवं उत्कृष्टता केन्द्र रीवा (म.प्र)

'मिशन कर्मयोगी' का उद्देश्य भविष्य के लिए सिविल सेवकों को और अधिक रचनात्मक बनाना है: केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम 'मिशन कर्मयोगी' सरकार के मानव संसाधन प्रबंधन प्रथाओं में 'मौलिक' सुधार करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य भविष्य के लिए सिविल सेवकों को तैयार करना है। यह सिविल सेवकों की क्षमता बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे के पैमाने और स्थिति का उपयोग करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस फैसले से सरकार में मानव संसाधन प्रबंधन की पद्धतियों में मूलभूत सुधार आएगा।

स्वच्छ भारत अभियान

श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन की नई दिल्ली, राजपथ पर शुरूआत करते हुए कहा था कि एक स्वच्छ भारत के द्वारा ही देश 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर अपनी सर्वोत्तम श्रद्धांजलि दे सकते हैं।" 2 अक्टूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन देश भर में व्यापक तौर पर राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में शुरू किया गया था। इस अभियान के अंतर्गत 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत की परिकल्पना को साकार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा चलाया गया सबसे महत्वपूर्ण स्वच्छता अभियान है। श्री नरेन्द्र मोदी ने इंडिया गेट पर स्वच्छता के लिए आयोजित एक प्रतिज्ञा समारोह की अगुआई की थी। जिसमें देश भर से आए हुए लगभग 50 लाख सरकारी कर्मचारियों ने भाग लिया। उन्होंने इस अवसर पर राजपथ पर एक पदयात्रा को भी झंडी दिखाई थी और न केवल सांकेतिक रूप से दो चार कदम चले बल्कि भाग लेने वालों के साथ काफी दूर तक चलकर लोगों को सन्देश दिया।[ख]

स्वच्छता के जन अभियान की अगुआई करते हुए प्रधान मंत्री ने जनता को महात्मा गांधी के स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक वातावरण वाले भारत के निर्माण के सपने को साकार करने के लिए प्रेरित किया। श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वयं मंदिर मार्ग पुलिस थाने में स्वच्छता अभियान को शुरू किया। धूल–मिट्टी को साफ़ करने के लिए झाडू उठाकर स्वच्छ भारत अभियान को पूरे राष्ट्र के लिए एक जन–आंदोलन का रूप दिया और कहा कि लोगों को न तो स्वयं गंदगी फैलानी चाहिए और न ही किसी और को फैलाने देना चाहिए। उन्होंने "न गंदगी करेंगे, न करने देंगे" का मंत्र भी दिया। श्री नरेन्द्र मोदी जी ने नौ लोगों को स्वच्छता अभियान में शामिल होने के लिए भी आमंत्रित किया और उनमें से हर एक से यह अनुरोध किया वो अन्य नौ लोगों को इस पहल में शामिल होने के लिए प्रेरित करें।

लोगों को इस अभियान में शामिल होने का आह्वान करके स्वच्छता अभियान एक राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले चुका है। स्वच्छ भारत अभियान के संदेश ने लोगों के अंदर उत्तरदायित्व की एक अनुभूति जगा दी है। अब जबकि नागरिक पूरे देश में स्वच्छता के कामों में सक्रिय रूप से सम्मिलित हो रहे हैं, महात्मा गांधी द्वारा देखा गया 'स्वच्छ भारत' का सपना अब साकार होने लगा है।

प्रधान मंत्री ने अपनी बातों और अपने कामों से स्वच्छ भारत के संदेश को लोगों का प्रयोग करके पूरे भारत और पूरी दुनिया में फैला दिया है। उन्होंने वाराणसी में भी स्वच्छता अभियान चलाया। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन के तहत गंगा नदी के निकट अस्सी घाट पर फावड़ा चलाया। बड़ी संख्या में उनके साथ शामिल होकर स्वच्छता अभियान में उनका सहयोग दिया। स्वच्छता के महत्व को समझते हुए प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इसके साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को हल करने की बात भी उठाई है। ये स्वास्थ्य समस्यायें लगभग आधे भारतीय परिवारों को घर में उचित शौचालय न होने के कारण उठानी पड़ रही हैं।[ख2,]

समाज के विभिन्न वर्गों ने आगे आकर स्वच्छता के इस जन अभियान में हिस्सा लिया है और अपना योगदान दिया है। सरकारी कर्मचारियों से लेकर जवानों तक, बालीवुड के अभिनेताओं से लेकर खिलाड़ियों तक, उद्योगपतियों से लेकर अध्यात्मिक गुरुओं तक सभी ने इस महान काम के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई है। देश भर के लाखों लोग सरकारी विभागों द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता के इन कामों में आए दिन सम्मिलित होते रहे हैं, इस काम में एनजीओ और स्थानीय सामुदायिक केन्द्र भी शामिल हैं, नाटकों और संगीत के माध्यम से सफाई–सुथराई और स्वास्थ्य के गहरे संबंध के संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पर पूरे देश में स्वच्छता अभियान चलाये जा रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने जनता और विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं द्वारा स्वच्छ भारत मिशन में हिस्सा लेने और एक स्वच्छ भारत के निर्माण में अपना योगदान देने के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों की सराहना की है। श्री नरेन्द्र मोदी ने सोशल मीडिया में जनता की भागीदारी की हमेशा मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। साथ ही साथ स्वच्छ भारत अभियान के एक हिस्से के तौर पर 'स्वच्छ भारत' अभियान भी शुरू किया गया है ताकि सफाई–सुथराई के लिए चलाए जा रहे इस अभियान में नागरिकों के योगदान को प्रकट किया जा सके।

स्वच्छ भारत एक 'जन–आंदोलन' का रूप ले चुका है क्योंकि इसे जनता का अपार समर्थन मिला है। बड़ी संख्या में नागरिकों ने भी आगे आकर साफ–सुथरा भारत बनाने का प्रण किया है। स्वच्छ भारत अभियान के आरंभ के बाद गलियों की सफाई के लिए झाड़ू उठाना, कूड़े–करकट की सफाई, स्वच्छता पर ध्यान केन्द्रित करना और अपने चारों ओर स्वास्थ्यवर्धक वातावरण बनाना अब जनता की प्रकृति बन गई है। जनता 'स्वच्छता ईश्वरत्व के निकट है' के संदेश को फैलाने में मदद दे रही है और इस काम में शामिल हो रही है।

प्रधानमंत्री जन धन योजना

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से विश्व के सबसे बड़े आर्थिक भागीदारी के कार्यक्रम, जिसका नाम जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) है, की घोषणा की थी। 28 अगस्त को यह कार्यक्रम आरंभ करते हुए प्रधान मंत्री ने इस अवसर को एक उत्सव के तौर पर मनाने की बात कही थी क्योंकि इसके द्वारा गरीब जनता एक कुचक्र से निजात पाने जा रही थी। श्री नरेन्द्र मोदी ने प्राचीन संस्कृत श्लोकः थ्ंिश्इज्ञत्सुखस्य मूलं धर्म, धर्मस्य मूलं अर्थः, अर्थस्य मूलं राज्यं दृ इसमें यह बताया गया है कि आर्थिक गतिविधियों में जनता की भागीदारी सरकार का उत्तरदायित्व है।" थ्ंिश्इज्ञत्सरकार ने यह उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया है", प्रधान मंत्री ने कहा और सरकार ने अपना यह वादा एक रिकार्ड समय में पूरा करके दिखाया है।

प्रधानमंत्री जन धन योजना एक राष्ट्रीय मिशन है जिसका उद्देश्य आर्थिक भागीदारी को संभव बनाना है। इसमें समग्र आर्थिक भागीदारी और देश के प्रत्येक परिवार को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने का एकीकृत उद्देश्य निहित है। इस योजना के अंतर्गत बड़े पैमाने पर आर्थिक सुविधाएं जैसेः– आधारभूत बचत बैंक खाता खोलने की सुविधा की उपलब्धता, आवश्यकता पर आधारित ऋण प्राप्त करने की सुविधा, अंतरण सुविधा, बीमा तथा पेंशन आदि शामिल हैं।

गिनीज़ वर्ल्ड रिकार्ड में भी प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत अर्जित की गई उपलब्धियों को स्वीकार किया गया है। इसने प्रमाणित किया है कि आर्थिक भागीदारी अभियान के एक भाग के तौर पर एक सप्ताह की अवधि के अंदर, सबसे अधिक 18,096,130 बैंक खाते खोलने का काम भारत सरकार के अंतर्गत आर्थिक सेवाओं के विभाग ने पूरा किया"।[ख3,]

26 जनवरी 2015 तक देश में 7.5 करोड़ ऐसे परिवारों को बैंक खाता खुलवाने के मूल लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जिनके पास पहले से बैंक खाते नहीं थे, बैंकों ने इससे पहले ही 31 जनवरी 2015 तक 21.06 करोड़ परिवारों का सर्वे करके 12.54 बैंक खाते खोल दिए, जिनके अंतर्गत 10,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमा की गई। यह लक्ष्य देश के 21.02 करोड़ परिवारों का सर्वे करने के बाद निर्धारित किया गया था। आज लगभग 100 प्रतिशत परिवारों को इस सुविधा के तहत लाया जा चुका है। खोले गए खातों में से 60 प्रतिशत खाते ग्रामीण क्षेत्रों में और 40 प्रतिशत खाते शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। इस प्रकार से खाता खोलने वालों में 51 प्रतिशत संख्या महिलाओं की है।

प्रधानमंत्री जन धन योजना कम से कम प्रत्येक परिवार के लिए एक बैंकिंग खाते की सुविधा के साथ बैंकिंग सुविधाओं को आम तौर से जनमानस के लिए उपलब्ध कराने, आर्थिक साक्षरता, ऋण प्राप्त करने, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने का एक मंच उपलब्ध कराती है। यह योजना शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए उपलब्ध है और इसके साथ ही साथ यह सुविधा भी उपलब्ध कराती है कि खाता खोलने वाले स्वदेशी डेबिट कार्ड भी पाएंगे। खाता किसी भी बैंक की शाखा (बैंक मित्र) पोर्टल में जीरो बैलेंस के साथ खोला जा सकता है। प्रत्येक खाता बैंकों के कोर बैंकिंग सिस्टम (सीबीएस) से जुड़ा हुआ है। बेसिक फीचर फोन्स पर उपलब्ध है, का प्रयोग मोबाइल बैंकिंग के लिए भी किया जा सकता है और इसे समर्थन दिया जा रहा है। कॉल सेन्टर और टोल फ्री नंबर की सुविधा भी पूरे देश में उपलब्ध है।

पीएमजेडीवाई का उद्देश्य यह है कि आधारभूत बैंकिंग खाते की सुविधा उपलब्ध कराके आर्थिक भागीदारी के लक्ष्य को प्राप्त किया जाए और इसके अंतर्गत स्वचालित दुर्घटना बीमा सुविधा समेत डेबिट कार्ड की भी सुविधा उपलब्ध हो। प्रधानमंत्री जन धन योजना की मुख्य विशेषताओं का आधार से जुड़े हुए बैंक खातों के लिए 5000 रुपये तक की ओवर ड्रॉफ्ट सुविधा और 1लाख रुपये की दुर्घटना बीमा सुरक्षा सुविधा समेत एक डेबिट कार्ड की सुविधा भी शामिल है। इसके अलावा, 15 अगस्त 2014 और 26 जनवरी 2015 के बीच खोले गए खातों के लिए 3 लाख रुपये की बीमा सुरक्षा भी योग्य लाभार्थियों के लिए उपलब्ध कराई गई है। प्रधानमंत्री जन धन योजना की एक प्रमुख विशेषता यह है कि खाता धारक को खाता खोलने और 6 महीने तक लगातार खाते को जारी रखने के बाद 5000 रुपये की ओवर ड्रॉफ्ट सुविधा भी प्राप्त हो सकेगी।

इस योजना के अंतर्गत आर्थिक साक्षरता कार्यक्रम जिसका उद्देश्य आर्थिक साक्षरता को ग्रामीण स्तर तक ले जाना है, की सुविधा भी दी जाती है ताकि खाताधारक पूरी प्रणाली को भलीभांति समझ सकें। इस मिशन के तहत यह प्रबंध भी किया गया है कि लाभार्थी के बैंक खाते के माध्यम से उसे सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध डॉयरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) सुविधा के विस्तार का लाभ पहुंचाया जाए। किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) को भी डेविड कार्ड के मंच से जोड़ा जा रहा है। जनता और असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाने वाली पेंशन योजनाओं के माध्यम से स्वाबलंबन योजना का लाभ भी इस कार्यक्रम के दूसरे चरण में शामिल किए गए हैं।

प्रधानमंत्री जन धन योजना की निगरानी का एक पूरा तंत्र केन्द्र से लेकर जिला स्तर तक कार्यरत है। केन्द्र में, वित्त मंत्री इस मिशन के प्रमुख हैं। और उनके साथ एक स्टीयरिंग कमेटी और एक मिशन डॉयरेक्टर इसकी निगरानी करते हैं। राज्य स्तर पर इस कार्यक्रम की समीक्षा राज्य कार्यान्वयन समिति करती है और जिले में इसकी निगरानी जिला कार्यान्वयन समिति द्वारा की जाती है। इस प्रकार से प्रधान मंत्री जन धन योजना न केवल मिशन मॉड में शासन तंत्र का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है बल्कि यह योजना यह भी दर्शाती है कि यदि कोई सरकार जनता के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है तो वह यह लक्ष्य कैसे प्राप्त कर सकती है।

नए भारत की भावना और बदले हुए डायनेमिक्स को प्रतिबिंबित करते हुए, शासन और नीति की संस्थाओं को नई चुनौतियों के अनुरूप बनाना होगा और उन्हें हर हाल में भारत के संविधान के मूल सिद्धांतों, हमारी सभ्यता एवं इतिहास से अर्जित ज्ञान तथा आज के सामाजिक–सांस्कृतिक–आर्थिक संदर्भ पर निर्मित करना होगा। भारत और इसके नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए शासन में संस्थागत सुधार और डायनेमिक नीतिगत परिवर्तनों की आवश्यकता है, जो अभूतपूर्व परिवर्तन के बीज बो सकें और फिर उसे बनाए रखें।[ख4,]

इस बदलते समय को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने अब तक के योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग गठित करने का निर्णय लिया है, ताकि भारत के लोगों की आकांक्षाओं को बेहतर तरीके से पूरा किया जा सके। नीति आयोग के गठन से पहले, मुख्यमंत्रियों, विशेषज्ञों, अर्थशास्त्रियों और आम जनता के साथ व्यापक विचार–विमर्श किया गया था।

हम एक ऐसा भारत बनाने की यात्रा पर निकले हैं जो न केवल अपने लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करे, बल्कि विश्व के मंच पर गर्व के साथ खड़ा हो। भारत के लोगों के मन में भागीदारी के जरिए विकास को लेकर और शासन में सुधार को लेकर बहुत बड़ी–बड़ी आशाएं हैं। इस कायांतरण के दौरान, हालांकि कुछ परिवर्तन प्रत्याशित और योजित हैं, उनमें से बहुत से बाजार की शक्तियों तथा बड़ी वैश्विक स्थितियों के स्थान परिवर्तन का परिणाम हैं। क्योंकि हमारी संस्थाएं और राजनीति परिपक्व हो रही हैं और क्रमिक विकास हासिल कर रही हैं इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि केंद्रीय स्तर पर प्लानिंग की भूमिका धीरे–धीरे कम हो, जिसे फिर से परिभाषित किए जाने की आवश्यकता है।

हमें अपनी जनसंख्या के स्वरूप का जो लाभ हासिल है, उसका अगले चंद दशकों में भरपूर फायदा उठाना होगा। हमारे युवाओं की क्षमता को शिक्षा, कौशल विकास, लिंग भेद की समाप्ति, और रोजगार के जरिए उसके चरम पर पहुंचाना होगा। हमें विज्ञान, टेक्नोलॉजी और ज्ञान अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में अपने युवाओं को लाभकारी अवसर उपलब्ध कराने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। समय के साथ 'राष्ट्रीय उद्देश्यों' को प्राप्त करने में सरकार की भूमिका कम हो सकती है, लेकिन यह महत्वपूर्ण हमेशा रहेगी। देश की जरूरतों के अनुसार, सरकार ऐसी नीतियों को निरंतर बनाती रहेगी जो नागरिकों को अधिक से अधिक फायदा देने में सहायक हों। विश्व के साथ निरंतर राजनैतिक और आर्थिक एकरूपता को नीतियों के निर्माण में सरकार की कार्यप्रणाली के साथ शामिल किया जाना चाहिए।

लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने से पहले शासन में सुधार लाना होगा। इसी तरह, इसे पब्लिक, प्राइवेट सेक्टर और सिविल सोसाइटी सहित स्टेक होल्डर्स के बीच इस रचनात्मक, सामन्जस्य और लगातार विकसित होती पार्टनरशिप के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। सभी स्तरों पर लोगों की भागीदारी के जरिए सेवाओं की डिलिवरी में सुधार लाना होगा। विगत वर्षों में सरकार के संस्थागत ढांचे में परिवर्तन हुआ है। आज जिस चीज की आवश्यकता है वह है डोमेन एक्सपर्टीज का विकास जिससे हमें संस्थानों को दिए गए कार्यकलापों की विशिष्टता बढ़ाने का अवसर मिलता है। केवल प्लानिंग प्रोसेस के संबंध में, शासन की विशिष्ट 'प्रोसेस' को बढ़ावा देने की और शासन की स्ट्रेटजी" से अलग रखने की आवश्यकता है।

शासन ढ़ांचे के संदर्भ में, हमारे देश को जिस परिवर्तन की आवश्यकता है वह है एक ऐसा संस्थान की स्थापना करना जो सरकार के लिए थिंक टैंक का काम करे डायरैक्शनल और पोलिसी डायनेमो। नीति आयोग इसी लक्ष्य को पूरा करता है। यह नीति के प्रमुख तत्वों के संबंध में केंद्रीय और राज्यों सरकारों को संबंधित नीतिगत और तकनीकी सलाह देगा। इसने आर्थिक मोर्चे से संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मामले, अपने देश में और अन्य देशों में सर्वोत्तम पद्धतियों का प्रसार करना, विभिन्न मुद्दों पर आधारित नए नीतिगत विचारों और विशिष्ट जानकारियों को समाहित करना शामिल है।

इतिहास के एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी बदलाव के जरिए संघ से राज्य तक एकतरफा नीति को बदला जाएगा और ऐसा राज्यों के साथ वास्तविक और सतत पार्टनरशिप के जरिए किया जा सकता है। नीति आयोग तीव्र गति से कार्य करेगा ताकि सरकारों को स्ट्रैटेजिक पोलिसी विजन उपलब्ध कराया जा सके और आपातकालीन मुद्दों से निपटा जा सके। दुनिया के सकारात्मक प्रभावों को ग्रहण करते हुए, भारतीय परिदृश्य में कोई भी माडल कारगर नही है। विकास के लिए हमें अपनी खुद की नीतियां ढूंढनी होंगी और यहां पर नीति आयोग एक बड़ी भूमिका निभाएगा।

चूंकि सरकार ने एक सहयोगात्मक संघवाद, नागरिकों की भागीदारी के विस्तार, सबको समान अवसर, शासन में भागीदारी और लचक विकास परक प्रौद्योगिकी का उत्तरोत्तर प्रयोग के द्वारा सुशासन के लिए अपनी प्रतिबद्धता की घोषणा कर रखी है, अतएव इसी नीति पर आगे बढते हुए नीति आयोग शासन की प्रक्रिया में अपनी ओर से एक महत्वपूर्ण दिशानिर्देशक और स्ट्रैटेजिक सहायता प्रदान करेगा।[x3]

मेक इन इंडिया

वर्षों से नीति–निमार्ता इस विषय पर चर्चा करते रहे हैं कि भारत में विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) को कैसे तीव्र करते हुए भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए। लेकिन नरेन्द्र मोदी ने यह काम कर दिखाया और कुछ ही महीनों में उन्होंने 'मेक इन इंडिया' अभियान का श्रीगणेश कर दिया जिसका उद्देश्य है निवेश को सुविधाजनक बनाना, नवप्रयोग को बढ़ावा देना, कौशल विकास में वृद्धि करना, बौद्धिक संपदा को सुरक्षा देना तथा सर्वोत्तम श्रेणी का मैन्युफैक्चरिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्मित करना।

मेक इन इंडिया" पहल चार स्तंभों पर आधारित है जिन्हें भारत में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए चिह्नित किया गया है, न केवल मैन्युफैक्चरिंग में बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी।[x4]

नई प्रक्रियाएः

मेक इन इंडिया" में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अकेले कारक के रूप में कारोबार करने की आसानी की पहचान की गई है। कारोबार के वातावरण को आसान बनाने के लिए पहले ही अनेक कदम उठाए जा चुके हैं। उद्देश्य यह है कि किसी कारोबार या बिजनेस के संपूर्ण जीवन चक्र के लिए उद्योग को लाइसेंसमुक्त और विनियमन मुक्त किया जाए।

नया इन्फ्रास्ट्रक्चरः उद्योगों की वृद्धि के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जरूरत है आधुनिक और सहायताकारी इन्फ्रास्ट्रक्चर। सरकार का इरादा आधुनिक हाई–स्पीड संचार और एकीकृत लॉजिस्टिक्स व्यवस्था के साथ आधुनिकतम टेक्नोलॉजी पर आधारित इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने के लिए औद्योगिक कोरिडोर तथा स्मार्ट सिटीज विकसित करने का है। इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स में इन्फ्रास्ट्रक्चर के अपग्रेडेशन के जरिए मौजूदा इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा। तेज गति की रजिस्ट्रेशन प्रणाली के जरिए नवप्रयोग और अनुसंधान कार्यकलापों को समर्थन प्रदान किया जा रहा है और तदनुसार स्थापित किए गए बौद्धिक संपदा अधिकार रजिस्ट्रेशन प्रणाली के इन्फ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया गया है। उद्योगों के लिए कौशल की आवश्यकताओं को चिह्नित किया जाएगा और तदनुसार कार्यबल तैयार करने का कार्य शुरू किया जाएगा।

नए क्षेत्रः 'मेक इन इंडिया' के तहत मैन्युफैक्चरिंग, इन्फ्रास्ट्रक्चर और सेवा कार्यकलापों में 25 क्षेत्र चिह्नित किए गए हैं और इंटरेक्टिव वेब–पोर्टल तथा पेशेवर तरीके से तैयार ब्रोकरों के जरिए विस्तृत जानकारी साझा की जा रही है और रक्षा उत्पादन, निर्माण और रेलवे इन्फ्रास्ट्रक्चर में, भारी पैमाने पर एफडीआई को खोल दिया गया है।

नया दृष्टिकोणः उद्योगों द्वारा सरकार को विनियामक की भूमिका में देखने की आदत है। 'मेक इन इंडिया' के तहत हमारा इरादा है कि इस स्थिति में परिवर्तन किया जाए और इसके लिए सरकार द्वारा उद्योगों के साथ इंटरेक्ट करने के तरीके में आमूल–चूल बदलाव लाया जाए। सरकार देश के आर्थिक विकास में उद्योगों के साथ साझेदारी करेगी। हमारा नजरिया एक सहायता करने वाले का होगा न कि विनियामक का।

मेक इन इंडिया कार्यक्रम का निर्माण सहयोगात्मक प्रयासों को आधार बनाकर किया गया है। इसमें केंद्रीय मंत्रियों, भारत सरकार के सचिवों, राज्य सरकारों, उद्योग लीडरों, और विभिन्न ज्ञान साझेदारों का सहयोग लिया गया है। दिसंबर 2014 में क्षेत्र विशिष्ट उद्योगों पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला, भारत सरकार के सचिवों और उद्योग लीडर्स को एकसाथ लेकर आई ताकि अगले तीन वर्षों के लिए एक कार्रवाई योजना पर चर्चा की जा सके और उसे तैयार किया जा सके। इसका उद्देश्य आने वाले वर्षों में जीडीपी में इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का योगदान बढ़ाकर 25 प्रतिशत करना था।

इन कार्यों से, हाल के इतिहास में राष्ट्र द्वारा हाथ में ली गई अकेली सबसे बड़ी इन्फ्रास्ट्रक्चर पहल के लिए रोडमैप मिला। इन्होंने सरकारी–निजी भागीदारी की कायांतरण करने की शक्ति भी प्रदर्शित की, और ये मेक इन इंडिया अभियान के प्रमाणक बन चुके हैं। इस सहयोगात्मक मॉडल को भारत के वैश्विक साझेदारों को शामिल करने हेतु भी लागू कर दिया गया है, जैसा कि हाल ही में भारत और यूनाइटेड स्टेट्स की गहन वार्ताओं में दिखाई दिया है।[ख]

छोटे से समय में ही, पुराने और अनुपयोगी हो चुके ढांचे जो अड़चनें पैदा करते थे, ढहा दिए गए हैं और उनकी जगह पारदर्शी और उपयोगकर्तानुकूल प्रणालियां लाई गई हैं। इसके कारण निवेश को बढ़ाने, नवप्रयोग को पोषित करने, कौशल विकसित करने, बौद्धिक संपदा को बचाने तथा सबसे अच्छे दर्जे का मैन्युफैक्चरिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में मदद मिल रही है। प्रगति का सर्वाधिक विशिष्ट सूचक है मुख्य क्षेत्रों जिनमें रेलवे, रक्षा, बीमा और चिकित्सा उपकरण शामिल हैं जिसको आश्चर्यजनक रूप से उच्च स्तर पर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए खोला जाना।

मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत, भारत में कारोबार करने की आसानी पर केंद्रित अनेक उपाय आरंभ किए गए हैं। एकदम नए, आईटी–प्रेरित अनुप्रयोग और ट्रैकिंग प्रक्रियाएं अब फाइलों और लालफीताशाही की जगह ले रही हैं। राज्य सरकार के स्तर पर लाइसेंसिंग नियमों को दुरुस्त करने व युक्तिसंगत बनाने के लिए, उन्हें वैश्विक श्रेष्ठ प्रथाओं के अनुकूल बनाते हुए, अनेक नई पहलें शुरू की गई हैं।

श्रम कानूनों में संशोधन से लेकर ऑनलाइन रिटर्न भरने तक और विनियामक वातावरण को युक्तिसंगत बनाने से लेकर औद्योगिक लाइसेंसों की वैधता बढ़ाने तक, मेक इन इंडिया" को एक वास्तविकता बनाने के लिए अनेक बदलाव किए जा चुके हैं।

आज भारत की विश्वसनीयता जितनी ठोस है उतनी कभी नहीं थी। इसमें गति, ऊर्जा और आशावाद है जो साफ दिखाई दे रहा है। मेक इन इंडिया निवेश के दरवाजे खोल रहा है। अनेक उद्यम इसके मंत्र को अपना रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र विश्व का सबसे शक्तिशाली लोकतंत्र बनने की राह पर अग्रसर है।

सिविल सर्विस क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम–

'मिशन कर्मयोगी' सरकार में मानव संसाधन प्रबंधन कार्य प्रणाली से मौलिक सुधार होगा। यह सरकारी कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने के लिए पैमाने और आधुनिक बुनियादी ढांचे का उपयोग करेगा।' प्रधानमंत्री ने कहा, 'आईजीओटी प्लेटफॉर्म कार्य–आधारित मानव संसाधन प्रबंधन और निरंतर ज्ञान के लिए परिवर्तन सक्षम करेगा। मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य पारदर्शिता और प्रौद्योगिकी के माध्यम से भविष्य के लिए सरकारी कर्मचारियों को अधिक सृजनात्मक, रचनात्मक और नवोन्मेषी बनाना है।' सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी को मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि कर्मयोगी योजना के तहत सिविल सर्विस के लोगों के लिए नई तकनीक और उनकी क्षमता पर ध्यान देने की कोशिश की जाएगी। जिसके लिए व्यक्तिगत स्तर से लेकर संस्थागत स्तर तक विकास करने पर जोर दिया जाएगा। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एक एचआर काउंसिल का गठन किया जाएगा, जिसका काम पूरे मिशन के तहत नियुक्ति पर निर्णय लेना होगा। साथ ही इस योजना के लिए एक बड़े स्तर पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को तैयार किया जाएगा।[घ]

इससे कर्मचारियों के व्यक्तिनिष्ठ मूल्यांकन को समाप्त करने में मदद करेगा और उनका वैज्ञानिक तरीके से उद्देश्यपरक और समयोचित मूल्यांकन सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा, 'मिशन कर्मयोगी सरकारी कर्मचारियों को एक आदर्श कर्मयोगी के रूप में देश सेवा के लिए विकसित करने का प्रयास है ताकि वे सृजनात्मक और रचनात्मक बन सकें और तकनीकी रूप से सशक्त हों।'

मिशन कर्मयोगी का गठन सटीक दृष्टिकोण, कौशल और ज्ञान के साथ भविष्य को ध्यान में रखकर सिविल सेवा का निर्माण करने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा, 'यह नए भारत की दृष्टि से जुड़ा हुआ है और क्षमता निर्माण पर केंद्रित है। मिशन कर्मयोगी अभियान सिविल सेवा क्षमता निर्माण से संबंधित एक राष्ट्रीय कार्यक्रम होगा। यह न केवल व्यक्तिगत क्षमता निर्माण पर बल्कि संस्थागत क्षमता निर्माण और प्रक्रिया पर भी केंद्रित है।'

वर्तमान में प्रशिक्षण परिदृश्य विविधताओं से भरा और बिखरा हुआ है। विभिन्न मंत्रालयों में, विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण प्राथमिकताओं में विसंगतियां हैं, इसने भारत की विकासात्मक आकांक्षाओं की साझा समझ को रोका है। उन्होंने कहा, 'एक प्रशासनिक अधिकारी को समाज की चुनौतियों का सामना करने के लिए कल्पनाशील और अभिनव, सक्रिय और विनम्र, पेशेवर और प्रगतिशील, ऊर्जावान और सक्षम, पारदर्शी और तकनीकी तौर पर दक्ष और रचनात्मक होना चाहिए।'

मुख्य कार्यकारियों ने भारत के स्टार्ट अप क्षेत्र के प्रति काफी रुचि दिखाई। उन्होंने उद्यमों व नवोन्मेषी स्टार्ट–अप इंडिया में निवेश की मंशा जताई है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने की बात को जोरदार तरीके से रखते हुए मोदी ने आज स्टार्ट–अप इंडिया, स्टैंड–अप इंडिया पर अपने दृष्टिकोण को भी रेखांकित किया। इस बयान में प्रधानमंत्री के हवाले से कहा गया है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के साथ वह व्यक्तिगत स्टार्ट अप्स और उद्यमियों पर जोर दे रहे हैं। मोदी ने इसे व्यक्तिगत क्षेत्र का नाम दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टार्ट–अप इंडिया और नवोन्मेषण सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति के हृदय में है।

संदर्भ सूचि

1 नरेंद्र मोदी (२०१८) साक्षी भाव नई दिल्लीः प्रभात प्रकाशन।

2 नरेंद्र मोदी (२०१८) ज्योतिपुंज नई दिल्लीः प्रभात प्रकाशन।

3 मकवाड़ा किशोर अय्यर (२०१५) सोशल हार्मनी नई दिल्लीः प्रभात प्रकाशन।

4 सचिव परमेश्वरन अय्यर (२०१६) की पुस्तक स्वच्छ भारत रेवोलुशन डायमंड बुक्स ने पेयजल स्वछता विभाग नई दिल्ली।